

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) के दिनांक 04.03.2014के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय संघोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संघोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश हेतु भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2016-17 में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए आयुक्त, के.वि.सं. की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय संघोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	C/o राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर, गाँव एवं डाक-खाना- संघोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2016-17 दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) चालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

  
 (डॉ. ई. प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

**वितरण:**

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव-।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म .एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- अपर सचिव स्कूल शिक्षा (मा.सं.वि.म .एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा./श) के.वि.सं के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), के.वि.सं(मु.) को उनके नोट दिनांक 02.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- संयुक्त आयुक्त (शै.) के.वि.सं(मु.) को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ संस्तुति आदेश जारी करें।
- उपायुक्त, के.वि.सं के .का .चंडीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के.वि .को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय में भेजे।
- प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ( शिक्षा ), हिमाचल प्रदेश सरकार।
- उपायुक्त, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ ।
- अधीक्षण अभियंता के.वि.सं को उनकी फ़ाइल संख्या F.110111/313/2014-KVSHQ/Works दिनांक 09.09.2016 के संबंध में।
- सचिव, के.मा.शि. बो. 2, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92 ।
- के.वि.सं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
- उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**  
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

Date: 14.09.2016

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II

**OFFICE-ORDER**

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) vide office-order of even number dated 04.03.2014, conveyed approval of Government of India, for establishing 54 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Sandhole, Distt. Mandi, Himachal Pradesh is one of these 54 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of Kendriya Vidyalaya, Sandhole, Distt. Mandi, Himachal Pradesh has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, the sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start this new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect in academic session 2016-17 at the following location:-

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Kendriya Vidyalaya, Sandhole, Distt. Mandi, Himachal Pradesh	C/o Govt. Sen. Secondary School campus, VPO Sandhole, Tehsil Sandhole, Distt. Mandi (Himachal Pradesh)

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2016-17 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(Dr.E.Prabhakar)

Joint Commissioner (Pers.)

**Distribution:-**

1. PS to HRM-cum-Chairman KVS.
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
4. PS to Commissioner, KVS.
5. PS to Additional Commissioner (Admn./Acad.), KVS.
6. Joint Commissioner (Trg.), KVS for information w.r.t. his note dated 02.08.2016.
7. Joint Commissioner (Acad.), KVS HQ with the request to issue staff sanction order.
8. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Chandigarh with the request to liaise with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school fall, for record of this office.
9. The Principal Secretary (Education), Govt. of Himachal Pradesh.
10. The Deputy Commissioner, Distt. Mandi, Himachal Pradesh for information.
11. The Superintending Engineer, KVS w.r.t F.110111/313/2014-KVSHQ/Works dated 09.09.2016.
12. Secretary, CBSE 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
13. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
14. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
15. Director, all ZIETs, KVS.
16. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.